**रजिस्टर्ड/सील्ड**

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-310/2025/713/22-2-2023-17(542)/2023

लखनऊ: दिनांक: 26 मार्च, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी बानो (बन्दी सं0-38/2021) पत्नी श्री गुलशेर, निवासी 4/492बी, हमदर्द नगर, निकट नेशनल स्कूल, थाना-सिविल लाइन, जनपद-अलीगढ़ है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-775/2018 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-11, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 22.01.2021 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, महिला बंदी द्वारा दिनांक 10.10.2022 तक 04 वर्ष 02 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष 04 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण तथा महिला बन्दी की 84 वर्ष से अधिक आयु, सन्तोषजनक जेल आचरण तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किये जाने एवं दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-310/2025/713(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2-जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।

3-पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़।

4-वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ़।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in